:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :— के.आर.खोड
मूकदमा नम्बर 80/19 राजस्व वाद

1. इब्राहीम पिता सदीक जाति घाची निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

प्रार्थी/वादी

बनाम

1. श्री हनीफ पिता मजीद घाची
2. इकरान पिता हनीफ घाची
3. रहीम भाई पिता सदीक भाई डमरी
4. दाउद भाई पिता रहीम भाई जाति घाची निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
5. श्रीमान लेण्ड होल्डर जरीए तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

विपक्षी/ प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1 श्री विरेन्द्रसिह चौहान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी

:: निर्णय :: दिनांक 26/02/2020

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी ने एक प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में पत्थरगढी करवाने बाबत पेश किया है कि:— गॉव सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा के खसरा सख्या 1401 का रकबा 0.05 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी है विपक्षीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अतिचार करने की धमकी देते है सीमा विवाद करते है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ प्रार्थनापत्र पर बहस एक पक्षीय सुनी गई, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि गॉव सीमलवाडा के आराजी नम्बर 1401 का रकबा 0.05 बीघा की पत्थरगढी, पत्थर लगा कर स्थाई सीमा चिन्ह लगाने का है जो न्यायहित में सही होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी इब्राहीम की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि मौजा सीमलवाडा के आराजी सख्या 1401 का रकबा 0.05बीघा की पत्थरगढी, पत्थर लगाकर स्थाई सीमा चिन्ह लगाने हेतु पत्थरगढी करे। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पलाना कर रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 26/02/2020. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.06 14:44:32 IST
Reason: SelfAttested